इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 155] भोपाल, गुरुवार, दिनांक 16 अप्रैल 2015—चैत्र 26, शक 1937

वाणिज्यिक कर विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 16 अप्रैल 2015

क्र. एफ बी-4-03-2015-2-पांच (8).—रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) की धारा 80-ख द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ. बी 4-22-2014-2-पांच (31) दिनांक 12 दिसम्बर, 2014 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—

संशोधन

(1) छूट क्रमांक (8) के स्थान पर, निम्नलिखित छूट स्थापित की जाए, अर्थात् :—

"(8) मध्यप्रदेश गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मण्डल, नगर विकास प्राधिकरणों, मध्यप्रदेश राज्य सहकारी आवास संघ अथवा मध्यप्रदेश में स्थित किसी नगरीय स्थानीय निकाय द्वारा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग या निम्न आय वर्ग के किसी व्यक्ति के पक्ष में निष्पादित अचल सम्पत्ति के विक्रय/पट्टे की लिखितों पर प्रभार्य रजिस्ट्रीकरण फीस से छूट प्रदान की जाती है. आर्थिक रुप से कमजोर वर्ग/निम्न आय वर्ग का वही अर्थ होगा जो कि नगरीय विकास एवं पर्यावरण विभाग द्वारा समय-समय पर परिभाषित तथा विनिर्दिष्ट किया जाए. जिला कलक्टर से, इस आशय का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा.

(2) छूट क्रमांक (26) के पश्चात्, निम्नलिखित छूट जोड़ी जाए, अर्थात् :—

"(27) शहरी गरीबों के लिये बुनियादी सुविधायें (बीएसयूपी)/एकीकृत आवास एवं मलिन बस्ती विकास कार्यक्रम (आईएचएसडीपी) के अन्तर्गत निष्पादित आवासीय मकान के पट्टे की लिखत पर रजिस्ट्रीकरण फीस को घटाकर केवल रुपए 1000/- किया जाता है.".

2. यह संशोधन दिनांक 1 अप्रैल 2015 से प्रवृत्त हुआ समझा जावेगा.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रवीन्द्र कुमार चौधरी, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 16 अप्रैल 2015

क्र. एफ बी-4-03-2015-2-पांच.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ बी-4-03-2015-2-पांच (8), दिनांक 16 अप्रैल 2015 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रवीन्द्र कुमार चौधरी, उपसचिव.

Bhopal, the 16th April 2015

No. F-B-4-03-2015-2-V (8).—In exercise of the powers conferred by Section 80-B of the Registration Act, 1908 (No. 16 of 1908), the State Government, hereby, makes the following amendments in this department's Notification No.F.B.4-22-2014-2-V(31), dated 12th December 2014 as follows :—

AMENDMENT

(1) For exemption number (8), the following exemption shall be substituted, namely :—

"(8) Registration fees shall be exempted on instruments of sale/lease of immovable property executed by the Madhya Pradesh Housing and Infrastructure Development Board, Nagar Vikas Pradhikarans, Madhya Pradesh State Co-operative Housing Federation or any Urban Local Body in Madhya Pradeh in favour of a person of Economically Weaker Sections or Lower Income Group. Economically Weaker Sections or Lower Income Group shall have the same meaning as defined and specified by the department of Urban Development and Environment from time to time. A certificate from the District Collector to this effect shall have to be produced.

(2) After exemption number (26), the following exemption shall be added, namely :—

"(27) Registration fees on instruments of lease of residential houses, executed under the Basic Service for Urban Poor (BSUP)/Integrated Housing and Slum Development Programme (IHSDP) is reduced to Rupees one thousand only.".

2. This amendment shall be deemed to have come into force from 01st April 2015.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
RAVINDRA KUMAR CHOUDHARY, Dy. Secy.

भोपाल, दिनांक 16 अप्रैल 2015

क्र. एफ बी-4-03-2015-2-पांच (9).—भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उपधारा (1) के खण्ड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ. बी. 4-29-2014-2-पांच (01), दिनांक 2 जनवरी 2015 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—

संशोधन

(1) अनुच्छेद 25 के अनुक्रमांक 1 के खण्ड (क) में शब्द एवं अंक "आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, निम्न आय समूह तथा मध्यम आय वर्ग-समूह के प्रवर्गों के भवनों/प्रकोष्ठों के लिये क्रमशः 100 प्रतिशत, 50 प्रतिशत, 25 प्रतिशत की सीमा तक प्रभार्य स्टाम्प शुल्क में छूट/कमी की जाएगी" के स्थान पर, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग/निम्न आय समूह के प्रवर्गों के भवनों/प्रकोष्ठों के लिए 100 प्रतिशत तथा मध्यम आय वर्ग समूह के प्रवर्गों के भवनों/प्रकोष्ठों के लिए 25 प्रतिशत की सीमा तक प्रभार्य स्टाम्प शुल्क में छूट/कमी की जाएगी" स्थापित किए जाएं.

(2) अनुच्छेद 25 के अनुक्रमांक 4 में, शब्द ''दस करोड़ रुपये'' के स्थान पर, शब्द ''पच्चीस करोड़ रुपए'' स्थापित किए जाएं.

(3) अनुच्छेद 38 के अनुक्रमांक 9 में, शब्द ''आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग'' के स्थान पर, शब्द ''आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग तथा निम्न आय वर्ग'' स्थापित किए जाएं.

2. यह संशोधन दिनांक 1 अप्रैल 2015 से प्रवृत्त हुआ समझा जावेगा.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रवीन्द्र कुमार चौधरी, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 16 अप्रैल 2015

क्र. एफ बी-4-03-2015-2-पांच.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ बी-4-03-2015-2-पांच (9), दिनांक 16 अप्रैल 2015 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रवीन्द्र कुमार चौधरी, उपसचिव.

Bhopal, the 16th April 2015

No. F-B-4-03-2015-2-V (9).—In exercise of the powers conferred by clause (a) of sub-section (1) of Section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (No. II of 1899), the State Government, hereby, makes the following amendments in this department's Notification No. F. B.-4-29-2014-2-V (01), dated 2nd January 2015 as follows :—

AMENDMENTS

(1) In clause (a) of serial number 1 of article 25, for the words and figures "the chargeable stamp duty shall be exempted/reduced to the extent of 100 percent, 50 percent and 25 percent for the cagegories of house/apartment of Economically Weaker Section, Lower Income Group and Middle Income Group respectively", the words and figures "the chargeable stamp duty shall be exempted/reduced to the extent of 100 percent for the categories of house/apartment of Economically Weaker Section/Lower Income Group, and 25 percent for the categories of house/ apartment of Middle Income Group" shall be substituted.

(2) In serial number 4 of article 25, for the words "rupees ten crore", the words "rupees twenty five crore" shall be substituted.

(3) In serial number 9 of article 38, for the words "Economically Weaker Section", the words "Economically Weaker Section and Lower Income Group" shall be substituted.

2. This amendment shall be deemed to have come into force from 01st April 2015.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
RAVINDRA KUMAR CHOUDHARY, Dy. Secy.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2015.